



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225043
CG-DL-E-10022021-225043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 549]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

का.आ. 601(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 724(अ) तारीख 14 फरवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH39 के कि.मी. 111.872 से कि.मी.140.87 (एस. डी. एम. ऑफिस छतरपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18 मार्च, 2020 को "दैनिक भास्कर" और 19 मार्च, 2020 को "फ्री प्रेस" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH39 के कि.मी. 111.872 से कि.मी.140.87 (एस. डी. एम. ऑफिस छतरपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश					जिले का नाम: छतरपुर
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: छतरपुर				
	गांव का नाम: कैडी				
1	2225/1	निजी	इरिगेटेड	0.06	कालीचरन तनय विन्द्रावन नि. ग्राम ()
2	397/1/1	निजी	इरिगेटेड	0.02	विनोद तनय मुलुवा नि. ग्राम ()
3	397/3	निजी	इरिगेटेड	0.1	कमलेश तनय गनेशा नि. ग्राम ()
4	675/1	निजी	इरिगेटेड	0.01	सरमन तनय बुद्धे नि. ग्राम ()
5	685	निजी	इरिगेटेड	0.03	सरमन तनय बुद्धे नि. ग्राम ()
	गांव का नाम: सरानी				
6	2143/1 , 2143/2	निजी	आवासीय भूखंड	0.154	हरिश्चन्द्र तनय बैजनाथ, हरीकिशुन तनय चतुर्भुज, रामसनेही तनय ग्यादीन, गनेश प्रसाद तनय परमईया, दिनेश चन्द्र तनय श्यामलाल, तुलसीदास तनय विहारी लाल, चिरौंजीलाल तनय देवीदीन, गोविन्ददास तनय परमलाल, रामविशाल तनय तेजा, दयाराम तनय

					रत्ना, चार्ल्स एक्का तनय लूकस एक्का, नर्मदा प्रसाद तनय राजावेडा, रामदयाल तनय राममनोहर, संतोष सिंह तनय जयेन्द्र सिंह 2143/2/1, 2143/1/1 ()
7	2144/2	निजी	आवासीय भूखंड	0.43	वृजभूषण तनय संतराम नि0 छतरपुर शैलेन्द्र गुप्ता तनय सूरजपाल गुप्ता नि. छतरपुर रमेश कुमार तनय मठोले प्रसाद गुप्ता प्रदीप तनय हल्के प्रसाद नि. छतरपुर घमण्ड सिंह तनय हजारी लाल यादव कल्पना पत्नी राजेश रिपौलिया आशीष तिवारी तनय एस.पी. तिवारी प्रवीण कुमार तनय शिवशंकर पाण्डेय सीताराम तनय मनमोहन मिश्रा कुलदीप सिंह तनय रामकुमार सिंह राधारानी सिंह तनय ओमप्रकाश पटेल 2144/2/7, 2144/2/11, 2144/2/12, 2144/2/10, 2144/2/13, 2144/2/5, 2144/2/6, 2144/2/3, 2144/2/4, 2144/2/2, 2144/2/9 ()
			कुल	0.804	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFOT/11012/09/2007/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

S.O. 601(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 724(E) Dated the 14th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH39 on the stretch of land from Km. 111.872 to Km. 140.87 (S.D.M. Office Chhatarpur) in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” dated the 18th March, 2020 and “Free Press” dated 19th March, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH39 in the stretch of land from Km. 111.872 to Km. 140.87 (S.D.M. Office Chhatarpur) in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH					District: CHHATARPUR
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chhatarpur					
Village: Kaindi					
1	2225/1	Private	Irrigated	0.06	Kalicharan S/o Vindrawan R/o Village
2	397/1/1	Private	Irrigated	0.02	Vinod S/o Muluwa R/o Village
3	397/3	Private	Irrigated	0.1	Kamlesh R/o Ganesha R/o village
4	675/1	Private	Irrigated	0.01	Sarman S/o Buddhe R/o Village
5	685	Private	Irrigated	0.03	Sarman S/o Buddhe R/o Village
Village: Sarani					
6	2143/1 , 2143/2	Private	Residential Plots	0.154	Harish Chandra S/o Bajinath, Harikishun S/o Chaturbhuj, Ramsanehi S/o Gayadeen, Ganesh Prasad S/o Parmaiya, Dinesh Chandra S/o Shyam Lal, Tulsidas S/o Bihari Lal, Chirongi Lal S/o Devideen, Govind Das S/o Paramlal, Ramvishal S/o Teja, Dayaram S/o Ratna, Charls Akka S/o Lukas Akka, Narmada Prasad S/o Rajabeta, Ramdayal S/o Ram Manohar, Santosh Singh S/o Jayendra Singh 2143/2/1, 2143/1/1
7	2144/2	Private	Residential Plots	0.43	Brajbhushan S/o Santram, Shailendra Gupta S/o Surajpal, Ramesh Kumar S/o Mathole Prasad, Pradeep S/o Halke Prasad, Ghamand Singh S/o Hajari Lal, Kalpana W/o Rajesh Ripoliya, Ashish Tiwari S/o S.P. Tiwari, Praveen Kumar S/o Shivshankar Pandey, Sitaram S/o Manmohan Mishra, Kuldeep Singh S/o Ramkumar Singh, Radharani Singh S/o Omprakash 2144/2/7, 2144/2/11, 2144/2/12, 2144/2/10, 2144/2/13, 2144/2/5, 2144/2/6, 2144/2/3, 2144/2/4, 2144/2/2, 2144/2/9
TOTAL				0.804	

[F. No. NHAI/BOT/DBFOT/11012/09/2007/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director